मंगल्या बनाम किशनलाल उ० नं० 4/17 [illegible]

GCMS No. 2019/00013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे / कानू[illegible] में [illegible] 30/12/20 [illegible] आगामी तारीख [illegible] 1/1/21 नियत की जाती है।	
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के [illegible] दिनांक 01.01.21 के राजस्व मुकदमात [illegible] आगामी तारीख पेशी दिनांक 29/1/21 नियत की जाती है।	
	पीठासीन [illegible] राजकीय दौरे / कानू[illegible] राज कार्य में व्यस्त [illegible] दिनांक 29/1/21 के राजस्व मुकदमात [illegible] आगामी तारीख पेशी दिनांक 5/2/21 नियत की जाती है।	
500/-Rs Cost. प्राप्त [illegible] 3/3/2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 3 सपठित धारा 151 सीपीसी का बाजदायरी हेतु पेश किया। मूल पत्रावली दिनांक 28.04.2017 नियत की थी। दिनांक 24.07.2017 मो पत्रावली माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई व बाद में पत्रावली मिलने पर दिनांक 08.12.2017 को पत्रावली माननीय न्यायालय में पेश की, जिसकी वादी अधिवक्ता को कोई जानकारी नहीं थी एवं आगामी पेशी दिनांक 06.02.2018 नियत थी व 06.02.2018 को भी कोई सूचना नहीं दी व आगामी पेशी दिनांक 27.04.2018 नियत थी व 27.04.2018 को उक्त पत्रावली को माननीय वकील प्रार्थी (वादी) को अनुपस्थित दर्शाकर पत्रावली अदम हा[illegible] वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण [illegible]वाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना प[illegible]दायरी के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का [illegible] पत्र भी मय शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र मूल बाजदायरी 5[illegible]—रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ यह पत्रावली संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushila Meena
Date: 2021.03.01 13:48:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner